रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234773
CG-DL-E-01042022-234773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1492]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944
No. 1492]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

का.आ. 1553(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1502 (अ), तारीख 21 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए घोषणा करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के अधिकारी है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह और निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उसकी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के संबंध में उपयोग करेगा :-

सारणी

अधिकारी का नाम, पदनाम और पता	लोक परिसरों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
आर. के. शिवहरे, सहायक प्रबंधक (सामान्य प्रशासन), नेपा लिमिटेड, नेपा नगर, मध्य प्रदेश-450221	नेपा लिमिटेड के स्वामित्व वाली संपत्तियां और भूमि, नेपा नगर शहर, तहसील नेपानगर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	

[फा. सं. 7(29)/2008-पीई-VII/सीपीएसई-III]

निधि छिब्बर, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2022

S.O. 1553(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 1502 (E), dated the 21st April, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Central Government to be estate officer for the purpose of the said Act and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Name and designation of officer	**Categories of public premises and local limits of jurisdiction**
(1)	(2)
Shri R. K. Shivhare, Assistant Manager (General Administration), NEPA Limited, Nepanagar, Madhya Pradesh - 450 221.	Properties and lands owned by the NEPA Limited, Nepanagar Township, Tehsil Nepanagar, District Burhanpur, Madhya Pradesh.

[F.No. 7(29)/2008-PE-VII/CPSE-III]

NIDHI CHHIBBER, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.01 15:19:13 +05'30'